



झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(जिला भू-अर्जन कार्यालय, राँची)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है मौजा-बुढाडीह, बारुहातु, रंगाडीह, सरमाली, एडरमहातु एवं पारमजड़ेया थाना न. क्रमशः-05, 60, 55, 57, 28 एवं 30 अंचल क्रमशः-बुण्डू, सोनाहातु, जिला-राँची में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना-बुण्डू-सोनाहातु-जामुदाग-जड़ेया पथ(MDR 0.026) 0.00 से 30.005 कि०मी० में चौड़ीकरण सुदृढीकरण कार्य परियोजना हेतु अपेक्षित है, प्रभावित परिवारों के पुर्नर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा-बुढाडीह, बारुहातु, रंगाडीह, सरमाली, एडरमहातु एवं पारमजड़ेया थाना न. क्रमशः-05, 60, 55, 57, 28 एवं 30 अंचल क्रमशः-बुण्डू, सोनाहातु, जिला-राँची में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-1.05 एकड़ भूमि मानक माप का भू-खंड, जिसका विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

बुढाडीह

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
01	20	4	रैयती	परतीगढ़ा	0.24	जीवन महतो, पिता-गूगल महतो वगैरह	रायसा नदी	रास्ता	प्लॉट सं०-4 का अंश	रास्ता
				कुल	0.24					

बारुहातु

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
01	81	441	रैयती	टांड-III	0.02	तुलसी महतो वो चमरु महतो वल्द राम महतो वगैरह	रास्ता	प्लॉट सं०-441 अंश	प्लॉट सं०-441 अंश	रास्ता
				कुल	0.02					

रंगाडीह

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
01	77	166	रैयती	टांड-III	0.28	मोहन लोहार एवं मोहन महतो	प्लॉट 167 का अंश	नदी	प्लॉट 166 का अंश	रास्ता
02	44	167	रैयती	टांड-III	0.04	साकर मुण्डा वगैरह	प्लॉट 167 का अंश	प्लॉट 166 का अंश	प्लॉट 167 का अंश	रास्ता
				कुल	0.32					

एडरमहातु

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
01	128	651	रैयती	टांड-II	0.02	देवधन मुण्डा वगैरह, पिता-रूपे मुण्डा	नदी	प्लॉट 652 का अंश	रास्ता	प्लॉट 651 का अंश
02	128	652	रैयती	टांड-II	0.04		नदी	प्लॉट 652 का अंश	रास्ता	प्लॉट 651 का अंश
03	128	653	रैयती	टांड-II	0.05		नदी	प्लॉट 652 का अंश	रास्ता	प्लॉट 651 का अंश
04	111	654	वकास्त	दोन-III	0.13	ब्रज किशोर सिंह वगैरह वल्द रघुनाथ सिंह वगैरह	प्लॉट 653 का अंश	रास्ता	रास्ता	प्लॉट 654 का अंश
				कुल	0.24					

पारमजड़ेया

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
01	40	456	गै०म०खास	परतीकदीम	0.23	जीतमोहन महतो, पिता-करमा महतो वगैरह	प्लॉट 456 का अंश	नदी	रास्ता	प्लॉट 456 का अंश
				कुल	0.23					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/सममाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिन 1 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूच के तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

28/11/18
अमीन

28/11/18
सहायक, प्रोसो

20/11/18
कानूनगो

28/11/18
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
राँची

28/11/18
अपर समाहर्ता,
राँची।

28/11/18
उपायुक्त,
राँची।